जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

जीविवि/परीक्षा-2/गोप./2022/222 दिनांक : 21.02.2022

प्रति,

विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त अध्ययनशाला/शासकीय/अनुदानित/अशासकीय महाविद्यालय,
जीवाजी विश्वविद्यालय परिक्षेत्र, ग्वालियर (म.प्र.)

विषय :- परीक्षा आवेदन पत्र एप्रूव करते समय छात्रों की अर्हता का परीक्षण करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पूर्व सत्र की परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित करने से पूर्व ज्ञात हुआ कि कुछ ऐसे छात्रों द्वारा भी परीक्षा आवेदन पत्र भर दिए गए हैं जिनको उक्त परीक्षा में बैठने की पात्रता ही नहीं थी। परीक्षा में बैठने की पात्रता न होने के बावजूद भी छात्र का परीक्षा आवेदन पत्र अध्ययनशाला/महाविद्यालय द्वारा एप्रूव किया गया जिसके फलस्वरूप अपात्र छात्र/छात्रा द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र भर दिया गया। अतः परीक्षा परिणाम घोषित करते समय उक्त छात्रों के परीक्षा परिणाम रोकने पड़े एवं इस कारण से छात्रों तथा विश्वविद्यालय के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। इस प्रकार के मामले संज्ञान में आने पर माननीय कुलपति महोदय द्वारा गहरी अप्रसन्नता व्यक्त व्यक्त करते हुए सख्त निर्देश प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः अध्ययनशाला/महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि छात्र/छात्रा का परीक्षा आवेदन पत्र एप्रूव करने से पूर्व उसकी अहर्ता/पात्रता की पूर्ण रूप से जांच करने के उपरान्त ही एप्रूवल प्रदान किया जावे। यदि भविष्य में किसी अपात्र छात्र का परीक्षा आवेदन पत्र अध्ययनशाला/महाविद्यालय द्वारा एप्रूव किया जाता है और उसके फलस्वरूप यदि कोई विधिक/सी.एम. हैल्पलाईन प्रकरण बनता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अध्ययनशाला/महाविद्यालय के विभागाध्यक्ष/प्राचार्य की होगी।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. प्रभारी, एम.पी. ऑनलाईन, जीवाजी विश्वविद्यालय की ओर इस निर्देश के साथ कि वह भी यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में किसी अपात्र छात्र का परीक्षा आवेदन पत्र न भरा जावे।
2. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

सहा0/उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोप0)